



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-02082022-237837
CG-UP-E-02082022-237837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3475]
No. 3475]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2022/श्रावण 11, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का.आ. 3641(अ).—समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 24 की उप-धारा (1) और धारा 32 के खंड (बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुद्री सहायता के नौचालन शुल्क की दरें निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार होंगी,

| क्र.सं. | पोत / जलयान का विवरण | समुद्री सहायता के नौचालन शुल्क की दर |
|---------|--|--|
| 1 | वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित – विदेश जाने वाले पोत – कंटेनर पोतों के अतिरिक्त अन्य पोत | रु .7.50 प्रति शुद्ध पंजीकृत टनभार (एन टी) |
| 2 | वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित विदेश जाने वाले पोत –कंटेनर पोत | रु.85.00 प्रति बीस फुट की समानार्थक इकाई (टीईयू) |
| 3 | तटीय पोत/ घरेलू व्यापार पोत अथवा पोत वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम –1958 के अधीन नौवहन महानिदेशालय द्वारा तटीय आवागमन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त पोत। | शून्य |
| 4 | वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित जल यात्रा जलयान | शून्य |
| 5 | केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार से संबंधित कोई भी पोत, जो भाड़े अथवा किराए हेतु माल अथवा यात्रियों को नहीं ले जा रहा है | शून्य |

टिप्पणी :

1. समुद्री सहायता के नौचालन शुल्क पर वस्तु और सेवा कर (जी एस टी) लागू है। जी एस टी की वर्तमान दर निम्नानुसार है और जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

| विवरण | सी जी एस टी | एस जी एस टी | आई जी एस टी |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| जी एस टी दर | 9% | 9% | 18% |

2. समुद्री सहायता के नौचालन शुल्क की दर की उपरोक्त अनुसूची उस तारीख से तीस दिनों के समापन पर प्रभावी होगी, जिस तारीख को राजपत्र में इस आदेश को अधिसूचित किया गया था।

[फा. सं. एलएच-11013/3/2022-एसएल]

लुकास एल कामसुआन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2022

S.O. 3641(E).—In exercise of the powers conferred of sub-section (1) of Section 24 and clause (b) of Section 32 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), the rates of marine aids to navigation dues shall be as per the following schedule,

| Sl. No. | Description of Ships / Vessels | Rate of Marine Aids to Navigation Dues |
|---------|---|--|
| 1 | Foreign Going Ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 – Ships other than Container Ships | Rs. 7.50 per Net Registered Tonnage (NT) |
| 2 | Foreign Going Ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 –Container Ships | Rs. 85.0 per Twenty feet equivalent unit (TEU) |
| 3 | Coasting Ships/Home- Trade ships or Ships granted license for Coastal runs by Directorate General of Shipping under the Merchant Shipping Act, 1958 | NIL |
| 4 | Sailing vessels as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 | NIL |
| 5 | Any ship belonging to the Central Government or any State Government, which is not carrying cargo or passengers for freight or fares | NIL |

Note:

1. Good and Service Tax (GST) is applicable on the marine aids to navigation dues. Present rate of GST shall be as below and the same shall be modified as per the rates notified by the Central Government from time-to-time.

| Description | CGST | SGST | IGST |
|-------------|------|------|------|
| Rate of GST | 9% | 9% | 18% |

2. The above scheduled rates of marine aids to navigation dues shall take effect on expiration of thirty days from the date of notification of this order in the Official Gazette.

[F. No. LH-11013/3/2022-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.